अध्याय-I

परिचय

1 कार्यक्रम का अवलोकन एवं लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 परिचय

जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में घोषित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024[1] तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में एवं निर्धारित गुणवत्ता का सुरक्षित पेयजल कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित एवं दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उपरोक्त के अनुरूप, छत्तीसगढ़ शासन ने 44.39 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य के साथ मिशन की शुरुआत की, जिसे संशोधित कर वर्ष 2024 तक 50 लाख परिवारों तक कर दिया गया था। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन का नोडल विभाग है, जिसे राज्य की ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.2 छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा

छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दो समितियों, अर्थात् एपेक्स समिति एवं कार्यकारिणी समिति, का गठन (मार्च तथा जून 2020) किया गया था। एपेक्स समिति की अध्यक्षता शासन के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है तथा यह समग्र नीति निर्धारण, रणनीतिक योजना निर्माण एवं निगरानी के लिए उत्तरदायी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव एपेक्स समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं। कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता मिशन निदेशक, जल जीवन मिशन, एक सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, जो परियोजना के नियोजन, निधि प्रबंधन तथा जिला एवं ग्राम स्तरीय निकायों के साथ समन्वय सहित दैनिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं।

चार्ट 1.1 जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचे को दर्शाता है।

[1] भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की।

चार्ट 1.1: छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा

एस.डब्ल्यू.एस.एम — **राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन**

- **एपेक्स समिति:** एपेक्स समिति की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव एपेक्स समिति के सदस्य सचिव होते हैं।
- **कार्यकारिणी समिति:** कार्यकारी समिति की अध्यक्षता मिशन निदेशक जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, द्वारा की जाती है, जो जलापूर्ति योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी तथा उनके प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

डी.डब्ल्यू.एस.एम — **जिला जल एवं स्वच्छता मिशन**

- **अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन:** जिला कलेक्टर, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तथा जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के समग्र क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।
- **सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन:** कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ग्राम समुदाय को ग्राम कार्य योजना तैयार करने, डिजाइन एवं प्राक्कलन बनाने तथा जलापूर्ति अवसंरचना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए उत्तरदायी हैं।

वी.डब्ल्यू.एस.सी. — **ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति**

- ग्राम समुदाय, ग्राम सर्वेक्षण के माध्यम से या इसकी उप-समितियों के माध्यम से ग्राम कार्य योजना तैयार करने, योजना बनाने, डिजाइन करने, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, संचालन एवं जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है।

₹ पाँच करोड़ तक की लागत वाली योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके लिए निविदा आमंत्रित करने के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपे गए थे। इसके अतिरिक्त, बहु ग्राम जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति के अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में निहित थे।

1.3 जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के प्रकार

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देश (2019) में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु दो प्रकार की योजनाओं, अर्थात् एकल ग्राम योजना एवं बहु ग्राम योजना का प्रावधान किया गया था। एकल ग्राम योजना भूजल, झरनों अथवा सतही जल योजना है, जिसमें पेयजल स्रोत का विकास/संवर्धन, जल शोधन संयंत्र, पम्पिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक तथा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक जल वितरण नेटवर्क सम्मिलित होता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश (90 प्रतिशत) एकल ग्राम योजनायें भूजल स्रोत पर आधारित हैं। बहु ग्राम योजना सतही जल पर आधारित योजना है, जो कई गाँवों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यह दो भागों में होती है, अर्थात् ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना एवं ग्राम-बाह्य अवसंरचना। ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना में पम्पिंग व्यवस्था, ओवरहेड टैंक तथा कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तक जल वितरण नेटवर्क सम्मिलित होता है, जो एकल ग्राम योजना के समान है तथा ग्राम-बाह्य अवसंरचना के प्रमुख घटकों में कच्चे जल का स्रोत, कच्चे जल का भंडारण, संचरण प्रणाली, शोधन प्रणाली, पम्पिंग मशीनरी, संतुलन जलाशय तथा ग्राम सीमा तक वितरण प्रणाली सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में, ग्राम-बाह्य अवसंरचना घटक को बहु ग्राम योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन किया गया था, जबकि ग्राम-अंतर्गत अवसंरचना का क्रियान्वयन पृथक रूप से एकल ग्राम योजना के रूप में किया गया था।

छत्तीसगढ़ में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 50 लाख परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 29,153 एकल ग्राम योजनायें तथा 70 बहु ग्राम योजनायें स्वीकृत की गई थी। मार्च 2024 तक केवल 172 एकल ग्राम योजनायें पूर्ण की गई थीं,

जिनमें से 32 योजनायें समुदाय/ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की जा चुकी थीं। सतही जल स्रोतों के माध्यम से 9.85 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन को आच्छादित करने हेतु स्वीकृत सभी 70 बहु ग्राम योजनाओं (ग्राम-बाह्य) का कार्य मार्च 2024 तक प्रगतिरत था।

1.4 भौतिक प्रगति

जल जीवन मिशन के शुरुआत के समय छत्तीसगढ़ में 3.20 लाख ग्रामीण परिवारों के घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध थे। मार्च 2024 तक भारत में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रगति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ 23वें स्थान पर था, जो मार्च 2025 तक फिसलकर 26वें स्थान पर पहुँच गया था।

चार्ट 1.2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन की वर्षवार प्रगति

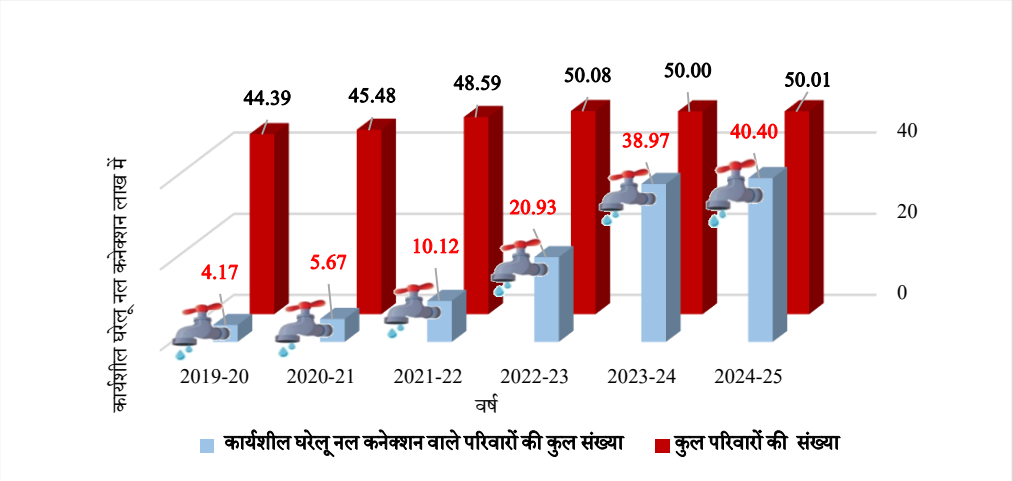

वर्षवार प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की वर्षवार प्रगति

वर्ष	1 अप्रैल को कुल ग्रामीण परिवार[2]	31 मार्च तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों प्राप्त परिवार	उपलब्धि (प्रतिशत में)
2019-20	44,38,941	4,16,568	9
2020-21	45,48,080	5,66,614	12
2021-22	48,59,443	10,11,583	21
2022-23	50,08,481	20,92,828	42
2023-24	50,00,155	38,97,049	78
2024-25	50,01,291	40,40,180	81

(स्रोतः जल जीवन मिशन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रतिवेदन जे-36)

(टिप्पणीः 40.40 लाख को आंकड़े में अप्रैल 2019 तक उपलब्ध 3.20 लाख उपलब्ध कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन तथा निजी/स्वयं के स्रोत के माध्यम से प्रदान किए गए 1.48 लाख कनेक्शन को शामिल है।)

[2] राज्य में कुल परिवारों की संख्या को वार्षिक आकडों अद्यतन के दौरान अपडेट किया गया।

कुल 40.40 लाख स्थापित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों में से जनवरी 2025 तक 13.31 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (33 प्रतिशत) जल स्रोत का सूख जाने, ओवरहेड टैंक का अधूरा होने, बिजली कनेक्शन की कमी, सोलर पंप की स्थापना न होने आदि के कारण कार्यशील नहीं थे।

जल जीवन मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के सभी 19,656 गांवों को मार्च 2024 तक 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित किया जाना था। 19,656 गांवों को 100 प्रतिशत 'हर घर जल' प्रमाणन के लक्ष्य के विरुद्ध, मार्च 2024 तक केवल 716 गाँव (3.64 प्रतिशत) ही 'हर घर जल' के रूप में प्रमाणित हुए, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 3,266 ग्राम (17 प्रतिशत) हो गई।

मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ के 33 जिलों एवं 146 जनपदों में से कोई भी जिला या जनपद सभी परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने में 100 प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सका था। 18 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 76 से 98 प्रतिशत के बीच रहा, जिसमें धमतरी जिला 98 प्रतिशत तथा बलौदाबाजार में 76 प्रतिशत कवरेज के साथ अग्रणी रहा, इसके अतिरिक्त, शेष 15 जिलों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज 56 से 74 प्रतिशत के बीच रहा। मार्च 2024 तक राज्य में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज की जिला-वार स्थिति नीचे **चार्ट 1.3** में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3: कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन कवरेज की जिला-वार स्थिति

1.5 वित्तीय प्रगति

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुल ₹ 11,855.72 करोड़ की धनराशि जारी की गई, जिसके विरुद्ध राज्य में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर ₹ 11,034.26 करोड़ का व्यय किया गया। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी की गई धनराशि तथा किए गए व्यय का विवरण **तालिका 1.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी निधि एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी निधि			अन्य प्राप्तियां*	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अंतिम शेष
		केन्द्र	राज्य	कुल				
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(2+5+6)	8	9
2019-20	0	24.27	24.27	48.54	0.59	49.13	23.36	25.77
2020-21	25.77	290.15	283.95	574.10	3.14	603.01	444.30	158.71
2021-22	158.71	556.82	543.64	1,100.46	13.35	1,272.52	988.98	283.54
2022-23	283.54	2,236.86	2,184.97	4,421.83	6.11	4,711.48	4,203.40	508.08
2023-24	508.08	2,885.56	2,825.23	5,710.79	15.28	6,234.15	5,374.22	859.93
कुल		**5,993.66**	**5,862.06**	**11,855.72**	**38.47**		**11,034.26**	

(स्रोत : राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के लेखापरीक्षित लेखों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों के अनुसार)

*(*इसमें ब्याज भुगतान एवं रिफंड सम्मिलित हैं)*

(**टिप्पणी**: वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा ₹ 65.82 करोड़ जारी किए गए थे, जिनमें से राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने ₹ 41.55 करोड़ केंद्रांश तथा ₹ 40.58 करोड़ समतुल्य राज्यांश को अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जमा किया। इसी प्रकार, वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹ 92.47 करोड़ की केंद्रांश राशि तथा ₹ 89.87 करोड़ की समतुल्य राज्यांश राशि को वित्तीय वर्ष 2021-22 में नोडल खाते में जमा किया गया तथा वर्ष 2021-22 से संबंधित केंद्रीय एवं राज्य प्रत्येक का ₹ 12.88 करोड़ अंशदान वित्तीय वर्ष 2022-23 में जमा किया गया।)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2024 तक भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कुल ₹ 11,855.72 करोड़ की निधि के विरुद्ध ₹ 11,034.26 करोड़ का व्यय किया गया था जिसमे ₹ 859.93 करोड़ की राशि शेष थी। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारिणी समिति ने वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम योजना/बहु ग्राम योजना को प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर ₹ 26,137 करोड़ की निधि की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ₹ 3,823 करोड़ की निधि जारी की गई। मौजूदा योजनाओं के पूर्ण होने हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी, तथापि वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं की गई तथा राज्य शासन द्वारा भी सितंबर 2025 तक केवल ₹ 983 करोड़ ही जारी किए गए थे। इसका प्रभाव योजनाओं के समयबद्ध पूर्ण होने पर भी पड़ेगा।

1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित का आकलन करने हेतु की गई थी कि क्या:-

- कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक योजना एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ उपलब्ध थीं;
- वित्तीय संसाधनों का उपयोग मितव्ययता एवं दक्षतापूर्वक किया गया था;
- कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रभावी एवं दक्ष था तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों की सफलतापूर्वक प्राप्ति हुई थी।

1.7 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:-

i. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशानिर्देश (दिसंबर 2019)

ii. केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन द्वारा जल आपूर्ति एवं उपचार की नियमावली (मई 1999) तथा संचालन एवं अनुरक्षण की नियमावली

iii. भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल गुणवत्ता निरीक्षण एवं चौकसी फ्रेमवर्क (अक्टूबर 2021)

iv. भारतीय मानक ब्यूरो आई.एस:10500 (2015)

v. समय-समय पर भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश/अधिसूचनाएँ/परिपत्र

vi. छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग का नियमावली।

1.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

जल जीवन मिशन पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की अवधि को सम्मिलित किया गया है जिसमे प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना जाँच तथा राज्य में जल जीवन मिशन के समग्र क्रियान्वयन का आकलन करने हेतु मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के कार्यालयों से सूचनाएँ एकत्रित की गईं। लेखापरीक्षा के अंतर्गत अगस्त 2024 से सितंबर 2024 के दौरान चयनित 33 जिलों में से स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि के माध्यम से जिला स्तर की छह[3] कार्यान्वयन इकाइयों अर्थात् जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा जिला एवं विकासखंड प्रयोगशालाओं के अभिलेखों की भी जाँच की गई। प्रत्येक चयनित जिलों से दो जनपद तथा प्रत्येक चयनित जनपद से दो गाँवों का चयन योजनाओं की नमूना जाँच हेतु किया गया। राज्य में परियोजना के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए 24 चयनित गाँवों में प्रत्येक में 20 परिवारों का लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया। चयनित इकाइयों की सूची **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र एवं पद्धति पर चर्चा हेतु सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के साथ एक आगम बैठक (जून 2023) आयोजित की गयी थी। मसौदा प्रतिवेदन जनवरी 2025 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हेतु मई 2025 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव के साथ एक निर्गम बैठक आयोजित की गई। शासन के विचारों/उत्तर को यथोचित रूप से प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान विभाग तथा परीक्षण जाँच की गई इकाइयों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

[3] 1. धमतरी, 2. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 3. कोंडागांव, 4. कोरबा, 5. महासमुंद, 6. सरगुजा